

पेज 15 का शेष...

इससे डेढ़ करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा. राज्य सरकार की ओर से स्वयं सहायता समूहों को चार फीसदी ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे. समय पर इन समूहों दूसरा कर्ज वापस करने पर उन्हें तीन प्रतिशत की छूट दी जायेगी. ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा के मुताबिक इससे राज्य सरकार के खजाने पर 12 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. राज्य में अभी दो लाख स्वयं सहायता समूह गठित है. स्वयं सहायता समूह को तीन लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है.

48 घंटों के अंदर मनरेगा कार्यों से संबंधित रिपोर्ट जारी करें

बिना काम हुए मनरेगा की राशि की निकासी और सरकारी पैसे की बंदरबांट को लेकर सरकार गंभीर हुई है. इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने निगरानी की नयी तकनीक अपनाने का फैसला किया है. इसके तहत पंचायत स्तरों पर हो रहे मनरेगा के कार्यों की रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. ग्रामीण विकास विभाग ने पाया कि राज्य के 534 प्रखंडों से मनरेगा के कार्यों से संबंधित रिपोर्ट समय पर नहीं मिलती है. इससे गड़बड़ी हो रही है. इसलिए सभी पंचायतों में हो रहे मनरेगा कार्यों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट 48 घंटों के अंदर जिले की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को कहा है. इसके लिए हर प्रखंड में बुधवार को लगने वाले शिविर में पंचायतों को पूरी पारदर्शिता से यह काम करने कहा गया है. इसकी जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने 18 दिसंबर को शुरू हुई अंतरप्रान्तीय मनरेगा स्टेट पीयर कार्यशाला के दौरान दी. इस दो दिवसीय कार्यालया में उत्तराखंड, यूपी, त्रिपुरा, झारखंड व हिमाचल प्रदेश आदि के प्रतिनिधियों ने शिरकत की. इस मौके पर पर विभागीय मंत्री व सचिव ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से पूरे पंचायतों में 27 हजार तालाब का निर्माण हो रहा है. इनमें से दस हजार तालाबों की खुदाई हो भी चुकी है. उन्होंने कहा कि बोधगया में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे. इस मौके पर पर लाल बहादूर शास्त्री नेशनल एकडेमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी के नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव की हेड प्रो. पूनम सिंह ने कहा कि बिहार में मनरेगा में अच्छा कार्य देखने को मिल रहा है. कार्यक्रम का संचालन विशेष पदाधिकारी अतुल वर्मा ने किया.

एक हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाएगी सेवा

पंचायतों के हाई स्कूलों में एक हजार सेवानिवृत्त शिक्षक फिर से अपना सेवा देगे. कैबिनेट के मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग में इस पर मंथन शुरू कर दिया है, और जिलों से रिक्तियां ली जा रही है. पूरे पंचायत में एक हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों की दो साल के कांटेक्ट के आधार पर नियुक्ति की जायेगी. जिन शिक्षकों की उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच है, उन्हीं की नियुक्ति होगी. यदि कोई शिक्षक 64 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो एक साल का कांटेक्ट होगा. पेंशन तो मिलेगा ही साथ ही साथ ही सेवानिवृत्त के समय जो पेंशन मिलता था .उसमें से पेंशन की राशि घटा कर पेंशन मिलेगा.

वार्ड सशक्तीकरण विषय पर ग्रामीण एकजुट

नालंदा

नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के सुभाष हाईस्कूल में वार्ड सभा सशक्तीकरण कार्यक्रम की जानकारी साझा करने एवं फंड रेजिंग के लिए बैठक का आयोजन किया गया. वार्ड सभा में सशक्तीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य विषय के साथ बैठक की शुरुआत की गयी. बैठक में यह सहमति बनायी गयी कि लोगों को कैसी सुविधा एवं सेवा मिले एवं सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को मिले, यह लोग मिल-जुल कर स्थानीय स्तर पर (वार्ड) खुद से तय करें एवं उसे प्राप्त करें. साथ ही इसकी गुणवत्ता पर

नियंत्रण रखने के लिए नियमित रूप से बैठक करें. इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वार्ड सभा नियमित रूप से प्रत्येक वार्ड में आयोजित किया जाये. प्रेरणा डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रयास से यह कार्यक्रम इस्लामपुर प्रखंड में पिछले वर्ष 2012 से एक पंचायत के दो वार्ड में और चंधारी पंचायत के सभी चौदह वार्ड में वार्ड सभा का संचालन किया जा रहा है. वार्ड सभा में औसतन भागीदारी 25 से 35 लोगों का होता है. कभी कभी यह संख्या 70 लोगों तक पहुंच जाती है. इस बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस तरह का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे रविवार को किया जायेगा. बैठक में चर्चा का विषय वार्ड सभा होनी

चाहिए और फंड रेजिंग के लिए अलग से व्यक्तिगत चर्चा होनी चाहिए. बैठक में कुल एक हजार रु की राशि सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ. बैठक में शैलेंद्र कुमार सिन्हा (मुखिया, रानीपुर पंचायत), मिट्टु पासवान (मुखिया, संडा पंचायत), शिवकुमार सिंह उर्फ लोहा सिंह (मुखिया, बेशवक पंचायत) बेचन पासवान (मुखिया, बरदाहा पंचायत) ने हिस्सा लिया. आयोजन करने वाली संस्था की तरफ से प्रणव कुमार चौधरी (कार्यक्रम प्रमुख), सुधाकर पटेल (अध्यक्ष, प्रेरणा), प्रदीप राय, उदय कुमार (वार्ड, सभा साधन सेवी) और प्रीति कुमारी (प्रखंड, साधन सेवी) उपस्थित थे.

सोलर लाइट घोटाला में पूर्व मुखिया गिरफ्तार

ताजपुर से मुकुल उपाध्याय

जिले के मोरवा प्रखंड के चकसिकंदर पंचायत के पूर्व मुखिया ब्रजेश कुमार राय को सोलर लाइट घोटाला में

समस्तीपुर

कांड (संख्या 238/2013) में ताजपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने ताजपुर बाजार के गांधी चौक से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. चकसिकंदर निवासी देव लाल राय ने

जिलाधिकारी को आवेदन देकर पंचायत में वर्ष 2010-11 में लगाये गये 17 सोलर लाइट में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरतने की शिकायत की थी, जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने वरीय उपसमाहता उषेंद्र प्रसाद से जांच करायी. जांच में पाया गया कि टाटा सोलर सिस्टम लगाना था. इसके लिए विभिन्न कंपनियों ने कोटेशन डाला था. सनराइज इंटरप्राइजेज के मालिक सुजीत कुमार सहनी ने अपने कोटेशन में मानक के अनुरूप सोलर सिस्टम की कीमत 33 हजार पांच सौ रुपये दर्ज की थी. मुखिया ब्रजेश कुमार ने भुगतान का आदेश

पंचायत सचिव को दिया, लेकिन घटिया किस्म के सोलर लाइट रहने के कारण वह जल्द ही खराब हो गया. जांच में भी घटिया सोलर लाइट होने की बातें सामने आयी थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर बीडीओ रामधन पासवान ने मुखिया ब्रजेश कुमार राय, पंचायत सचिव रामेश्वर प्रसाद राय एवं आपूर्तिकर्ता सुजीत कुमार सहनी के खिलाफ ताजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पूर्व मुखिया के बाद पुलिस इस मामले के दो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

तय होगा पंचायतों में टैक्स संग्रह का फॉर्मूला

जल्द ही शहरी क्षेत्रों व पंचायतों में आधारभूत संरचना का बदलने वाला है. पंचम वित्त आयोग सरकार को अपनी अनुशंसा देगा, कि गांव व शहरों में राजस्व की प्राप्ति कैसी होगी, टैक्स कितना बढ़ाया जाए और कहा-कहां कितनी लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ायी जा सकती है, आयोग का विधिवत रूप इसके लिए गठन हो गया है. 31 मार्च 2015 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देने के लिए कहा है. सरकार ने आयोग के लिए जो कार्य निर्धारित तय किये हैं.उसके तहत आयोग पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम व नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा तथा उसकी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए अनुशंसा करेगा. साथ ही सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स तथा फीस का इन संस्थाओं के बीच बंटवारा किस तरह से होगा. वित्त आयोग को यह भी अनुशंसा करना है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सौंपे जाने वाले कर, शुल्क व फीस की क्या दर होगी. राज्य की की संचित निधि से पंचायतों को व नगर पालिकाओं को किस पैटर्न पर पर सहायता अनुदान दिया जायेगा. पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या इसके अतिरिक्त उपाय किये जा सकते हैं. इन सारी बिंदुओं पर आयोग को अनुशंसा देना है.

चतुर्थ वित्त आयोग ने की थीं कई अनुशंसाएं

पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों की सुधार के



लिए जो अनुशंसाएं लागू की थी, ता उस में तो कुछ अनुशंसाएं अबतक प्रक्रियाओं में ही अबतक उलझी हुई है.आयोग ने विकास योजनाओं की राशि के बंटवारे को लेकर जो भी फॉर्मूला व अनुशंसा तैयार किया था. उनमें प्रमुख रूप से सीटी मैनेजर की नियुक्ति, इ गवर्नेंस, सीटी डेवलपमेंट प्लान, 50 हजार नगर सेविकाओं की बहाली, जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना, प्राथमिक स्कूलों को आधारभूत संरचना का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज अरबन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को लागू करना था, लेकिन अबतक अधिकांश अनुशंसाएं की क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है.

एक हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली

जाएगी सेवा

पंचायतों के हाई स्कूलों में एक हजार सेवानिवृत्त शिक्षक फिर से अपना सेवा देगे. कैबिनेट के मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग में इस पर मंथन शुरू कर दिया है, और जिलों से रिक्तियां ली जा रही है. पूरे पंचायत में एक हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों की दो साल के कांटेक्ट के आधार पर नियुक्ति की जायेगी. जिन शिक्षकों की उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच है, उन्हीं की नियुक्ति होगी. यदि कोई शिक्षक 64 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो एक साल का कांटेक्ट होगा. पेंशन तो मिलेगा ही साथ ही साथ ही सेवानिवृत्त के समय जो पेंशन मिलता था .उसमें से पेंशन की राशि घटा कर पेंशन मिलेगा.



बिहार सरकार महादलित टोले में सामुदायिक भवन सह वर्ककोड योजना चलाती है. इस योजना में महादलित टोलों में महादलित वर्ग के सामाजिक कार्यों के निर्वाहन के साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद का विकास करने का उद्देश्य होता है.